Observations of Research Coordinator as per Rule 9, Form 4 of NGT Act, 2010
Letter Petition (Regn No.2732/LP/2021)
Dated 26.06.2021()
Diary No. 2727-2736/LP/2021
Dt. 13.9.2021

S. no.	Issue raised	Significance	Suggested solutions
1	Acid plant has been established at Plot. No. A-6 Industrial area Bandka, Pardi,Balrda, Agra Road, Ujjain (M.P.) causing air pollution leading to breathing disorder and other health hazard to workers and villagers, damage to agricultural field and soil, crop, property etc.	(By Video Conferencing) Original Application No. 268/2020 (With report dated 20.02.2021) dated 13.04.2021.Uttar Pradesh.Grievance in this application is against violation of environmental norms by M/s DERPA Industrial Polymers Pvt. Ltd at 56, Rural Industrial Estate, Loni, Ghaziabad, U.P. The unit is manufacturing rubberized fabric, leather shoes, leather suitcase, PU sole shoes, tarpaulin, etc., to name a few, based on the NSIC certificate, using boilers and hazardous chemicals for coating and treatment purposes. These activities are resulting in damage to the soil, apart from air and water pollution. 2. A report was sought from the State PCB and the District Magistrate, Ghaziabad with reference to the above allegations.	Application maybe considered in view of. Direction of Tribunal on similar matter as referred

Pratima

PratimaAkolkar
Research Co-ordinator (NGT)
21.09.2021

Brajmohan Gehlod
M.A.,LL.B.
ADVOCATE
303, Third Floor, Patidar Tower, 66, Varruchi Marg, Ujjain (M.P.) - 456010
Additional Office - Chhota Gopal Mandir, 34, Warahmihir Marg, Ujjain
Residence : 0734-2921880, Mobile : 94253-79447 & 7999056153
Email - brajmohan.gehlod@gmail.com

21

No. : 2021/VI/03-06 Date : 16-06-2021

पंजीबद्ध सूचना–पत्र

प्रति,

2732/LP/2021
28/06/21

प्रोप्रायटर, नीलकेम, प्लॉट न. ए–6,
औद्योगिक क्षेत्र, बांदका, पारदी बर्ल्डा,
आगर रोड़, उज्जैन (म.प्र.)

26 JUN 2021
2051

महोदय,

मुझे मेरे पक्षकार श्री फ़ज़ल बैग आत्मज श्री सुभान बैग, प्रोप्रायटर, क्षिप्रा सॉ मिल्स्, प्लॉट न. ए–5, औद्योगिक क्षेत्र, बांदका, पारदी बर्ल्डा, आगर रोड़, उज्जैन (म.प्र.) ने आपको निम्नानुसार सूचना–पत्र देने हेतु अधिकृत एवं अनुदेशित किया है:–

1. यह कि, मेरे पक्षकार को मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित एवं नियंत्रित जिला उद्योग व्यापार केन्द्र, उज्जैन ने औद्योगिक क्षेत्र, बांदका, पारदी बर्ल्डा, आगर रोड़, उज्जैन (म.प्र.) स्थित प्लॉट न. ए–5 आवंटित किया है जिसपर मेरे पक्षकार द्वारा वुडन वर्क का व्यवसाय किया जाता है। आपको भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित एवं नियंत्रित जिला उद्योग व्यापार केन्द्र, उज्जैन ने औद्योगिक क्षेत्र, बांदका, पारदी बर्ल्डा, आगर रोड़, उज्जैन (म.प्र.) स्थित प्लॉट न. ए–6 आवंटित किया है। आपको आवंटित भू–खण्ड मेरे पक्षकार को आवंटित भू–खण्ड के पास स्थित है।

2. यह कि, आपके द्वारा आपको आवंटित प्लॉट पर केमिकल से तेज़ाब का निर्माण करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप–

ए. मेरे पक्षकार, मेरे पक्षकार के सेवायुक्तों, पास में स्थित अन्य उद्योगों में कार्यरत सेवायुक्तों और ग्रामीणों को साँस लेने में परेशानी होती है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों को गंभीर बीमारियाँ होने की संभावना है।

बी. मेरे पक्षकार द्वारा निर्मित टीन शैड एवं मशीनरी की स्थिति एवं कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव गिर रहा है।

सी. आस–पास की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति भी प्रतिकूल रूप से

LA.R.G.
26-6-21
L.P.

B.M.GEHLOD, ADV., UJJAIN. - PM-LET 4-237

निरंतर.......... 02

BmGehlod

प्रभावित हो रही है और उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाने से क्षेत्र के कृषकों को आर्थिक क्षति भी हो रही है।

डी. आप तेज़ाब निर्माण के पश्चात शेष वेस्ट मटेरियल को नियमानुसार शुद्ध कर उसको समाप्त नहीं कर रहे हैं जबकि ऐसा करना वैधानिक रूप से आपका दायित्व है।

ई. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आपको तेज़ाब निर्माण की अनुज्ञप्ति भी प्रदत्त नहीं की गई और इस प्रकार आप तेज़ाब का अवैध निर्माण कर रहे हैं।

एफ. आपके द्वारा तेज़ाब निर्माण में सैफ्टी इक्यूपमेंट का भी प्रयोग नहीं किया जाता है।

जी. आपके कृत्य के परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और उसके कारण ज़मीन, जन, धन को क्षति पहूँचाई जा रही है, जिसके संबंध में ए. डी.एम. उज्जैन द्वारा आपको सूचना–पत्र भी जारी किया गया है किन्तु आपने अपनी अवैधानिक कार्यवाहियों को विराम नहीं दिया है।

3. यह कि, मेरे पक्षकार ने उपरोक्त संबंध में आपसे अनेक बार निवेदन किया कि आप जो कार्य कर रहे हैं वह पर्यावरण एवं मानवता के लिये खतरनाक है, इसलिये उसे बन्द करें किन्तु आपके द्वारा मेरे पक्षकार के निवेदन को नज़रअंदाज़ किया गया।

अतः इस सूचना–पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आप सूचना–पत्र प्राप्ति से 15 दिवस की अवधि में आपको आवंटित भू–खण्ड पर अवैध तेज़ाब निर्माण का कार्य बन्द करदें और पर्यावरण व मानवता को क्षति पहूँचाना बन्द करके संबंधित शासकीय/प्रशासकीय अधिकारियों को तदाशय की लिखित सूचना प्रदत्त करें, अन्यथा दशा में बादमियाद आपके विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही करने को बाध्य होना पड़ेगा जिसके समस्त हर्जे व खर्चे का दायित्व आपका होगा। सूचित हो।

प्रेषक

(ब्रजमोहन गेहलोद)

एडवोकेट

निरंतर......... 03

नोट – यह सूचना–पत्र तीन पृष्ठों पर मुद्रित है और प्रत्येक पृष्ठ मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

BmGehlot

(ब्रजमोहन गेहलोद)

एडवोकेट

त्वरित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपिः–

1. नेशनल ग्रीन ट्रयूब्नल, फरीदकोट हाऊस, कापरनीस मार्ग, इण्डिया गेट के पास, नई–दिल्ली (एन.सी.आर.)

2. श्रीमान् प्रमुख सचिव महोदय, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, सचिवालय, भोपाल (म.प्र.)

3. श्रीमान् जिलाधीश महोदय, कोठी पैलेस, विश्वविद्यालय मार्ग, उज्जैन (म.प्र.)

BmGehlot

(ब्रजमोहन गेहलोद)

एडवोकेट